

हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 1996

संख्या सांख्यानिक 14/सवि०/प्रनु० 309/96.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस नियम जहाँ संभर्ष बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राजस्व विभाग, जिला अधीनस्थ (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1988 को लागू करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग, जिला अधीनस्थ (ग्रुप "ग")/संगोष्ठन नियम, 1996, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राजस्व विभाग, जिला अधीनस्थ (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1988 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), में नियम 9 में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ट) चालकों की दशाएँ :--

(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 20 प्रतिशत ग्रुप ग या घ कर्मचारियों, जिनका वेतनमान चालक से कम हो, में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही सगे किसी कर्मचारी की स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट "क" में क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"11. चालक 126 4 130 1,200--30--1,560--बंरो
--40--2,040 रुपए जमा 100/--
उपरो विशेष वेतन।"

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट "ख" में, खण्ड 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे क्रमांक 10 के बाद उसके सामने प्रविष्टियों के बाद अन्त में निम्नलिखित क्रमांक उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1) चालक (i) हिन्दी सहित आठवीं ; (j) हिन्दी सहित आठवीं ;

(ii) चालक के रूप में तीन वर्षों के अनुभव सहित सभी प्रकार के मार्गों पर हल्के परिवहन वाहन को चलाने की विधिमाम्य चालन अनुमति ;

उच्च योग्यता प्राप्त मोटर मकेनिजम का ज्ञान अथवा कार मरम्मत का उचित अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा ।

(ii) पुप-ग या पुप-घ के कर्मचारियों के रूप में कम से कम पांच वर्षों का अनुभव

(iii) सरकारी/अर्ध सरकारी बोर्ड/निगम आदि में हल्के मोटर वाहन को चलाने के विषयों के अनुभव सहित सभी प्रकार के मार्गों पर हल्के वाहन को चलाने की विधिमाम्य चालन अनुमति ।

उच्च योग्यता प्राप्त/मोटर मकेनिजम का ज्ञान रखने वाले और छोटी मरम्मत का कार्य कर सकने वाले को अधिमान दिया जाएगा ।" ।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट ग में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रमांक संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :--

"11. आसक्त उपायुक्त उपरोक्त (1) उपायुक्त प्रायुक्त विज्ञानयुक्त एवं सचिव राजस्व ।"

6. उक्त नियमों में परिशिष्ट घ में, खाना 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के नीचे क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :--

"11. आसक्त ।"

जे.डी. गुप्ता,

सचिव, राजस्व विभाग,
हरियाणा सरकार ।

हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2015

संख्या सांका०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2015.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग, जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या (II) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"11	चालक	<p>(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा:- (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत; (v) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;</p> <p>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए”।</p>

डॉ० दलीप सिंह,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तीयुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।